निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 283/2020 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

मैसर्स मारूति प्रोडेक्ट प्रा॰ लि॰ जरिये निदेशक श्री वरूण अग्रवाल

पता–फ्लेट नं॰ 205–ए, दा ग्राण्ड गीजगढ हवा सडक एवं

खसरा नम्बर 6791/1, 6792/2, 6801/1, 6802/2 एवं 6804 बगरू कला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

इण्डियन बैंक (पूर्व इलाहाबाद बैंक) शाखा जयपुर मेन्शन, पांच बत्ती, एम आई रोड, जयपुर।

अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 268/2019 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी इलाहाबाद बैंक बनाम मैसर्स मारूति प्रोडेक्ट प्रा॰ लि॰ आदेश दिनांक 17.12.2019 को रिव्यू करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हंस कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.01.2021

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ऋणी को अप्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 26.06.2019 को दिये गये धारा 13 (2) के नोटिस को माननीय ऋण वसूली अधिकरण के द्वारा दिनांक 15.11.2019 को खारिज कर दिये जाने के आधार पर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 268/2019 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी इलाहाबाद बैंक बनाम मैसर्स मारूति प्रोडेक्ट प्रा॰ लि॰ में पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 को रिव्यू किये जाने का अनुरोध किया है।

2. रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । इलाहाबाद बैंक का विलय इण्डियन बैंक में होने जाने से व रिव्यू प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति प्राधिकृत अधिकारी इण्डियन बैंक को प्रोषित कर वस्तुत स्थित से अवगत कराने को सूचित किया गया । अप्राथी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री हंस कुमार शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बैंक द्वारा प्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.06.2019 दिया गया धारा 13 (2) का

नोटिस माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा दिनांक 15.11.2019 को ही निरस्त कर दिया गया है। अप्रार्थी बैंक ने तथ्यों को छिपाते हुये निरस्त किये गये धारा 13(2) के नोटस के आधार पर धारा 14 सरफेशी का आदेश मान्य न्यायालय से प्राप्त कर लिया गया है जो अवैद्य है। अत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि माननीय ऋणी वसूली अधिकारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 को माननीय ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण देहली द्वारा दिनांक 21.11.2019 को स्टे कर दिया गया है। मामला माननीय ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के आदेशानुसार तय होगा। इसलिए मान्य न्यायालय द्वारा धारा 14 के तहत पारित आदेश विधि सम्मत है। मान्य न्यायालय के स्तर पर धारा 14 के तहत पारित आदेश में किसी तरह का परिवर्तन या खारिज किया जाना उचित नही है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. बैंक की ओर से सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत धारा 13 (2) के नोटिस को यद्यपि माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा दिनांक 15.11.219 को निरस्त कर दिया गया था, किन्तु ऋण वसूली अधिकरण के आदेश दिनांक 15.11.2019 को माननीय ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण देहली द्वारा दिनांक 21.11.219 को स्थगित कर दिया गया है और मामला माननीय ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा जब दिनांक 17.12.2019 को धारा 14 का आदेश पारित किया गया तब धारा 13 (2) को नोटिस प्रभाव में था। इसलिए इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 17.12.2019 में किसी प्रकार के पुनर्विचार एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन/रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर